न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 86 / 2022

प्रार्थी – *बनाम* **अप्रार्थीगण –**

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

1. श्याम सुंदर पुत्र बाबूलाल जाति राठी निवासी देरासर बाड़मेर (मैसर्स पवन किराणा स्टोर (पवन कुमार श्याम सुंदर) देरासर का मालिक)
2. गौतम चन्द मालू पुत्र चम्पालाल मालू प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स महावीर सेल्स कोर्पोरेशन जी–9 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर
3. सुरेश कुमार जैन प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स पदम एजेन्सी वर्धमान कॉलोनी प्लॉट नंबर 28 नियर एयरपोर्ट सर्कल सांगानेर जयपुर (302029)
4. भरतभाई देशभाई खिमसुरीया प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग क0 जामनगर राजकोट हाईवे नियर फला विपेज रावणी खिजजडीया जामनगर, गुजरात (361130)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 14.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स पवन किराणा स्टोर (पवन कुमार श्याम सुंदर) देरासर** पर निरीक्षण दिनांक **24.02.2022** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड बंधन (500 एमएल जार पैकिंग)** जो कि अलग–अलग पैकिंग में भरा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के चार जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी--1591** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड बंधन (500 एमएल जार पैकिंग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड बंधन (500 एमएल जार पैकिंग)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **09.03.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **B.R. Reading at 40^{0}C** का मानक स्तर **40 से 43.5** के मुकाबले **43.94** तथा **Reichert Value** का मानक स्तर **Minimum [illegible]** की तुलना में **22.83%** पाया गया है जो कि मानक स्तर के नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं और न ही अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर **रूपये 450000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested